

**FORM NO.111**



फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नेमीचन्द बनाम कैलाश चन्द वगै०

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर:- 01 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
31.12.2020	<p>प्रार्थी की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड० ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकले जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 12.01.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
04.01.2021	<p>वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली तारीख पेशी 12.01.2021 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण को आगे नहीं चलाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> ( लक्ष्मीकान्त गुप्ता ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)</p>	

